न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

प्रकरण सं0 242 / 14 / टीआई

सुमन देवी उम्र 34 वर्ष पुत्री स्व. धन्नाराम जाति जाट निवासी बिड़ोली तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थीया

बनाम

1. धर्मपाल उर्फ धर्मेन्द्र उम्र 37 वर्ष पुत्र स्व. धन्नाराम
2. किस्तुरी देवी उम्र 58 वर्ष पत्नी स्व. धन्नाराम
3. लिछमण राम पुत्र स्व. टीकूराम
   समस्त जाति जाट निवासी बिड़ोली तहसील धोद जिला सीकर
4. उप पंजीयक, धोद जिला सीकर
5. तहसीलदार, धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारनिया वकील प्रार्थीया की ओर से
2. श्री नानूराम बुरानिया वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से

निर्णय दिनांक– 13-8-2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता की पूर्णतया आशा है। प्रार्थीश्स एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की वंशावली निम्न प्रकार से है–

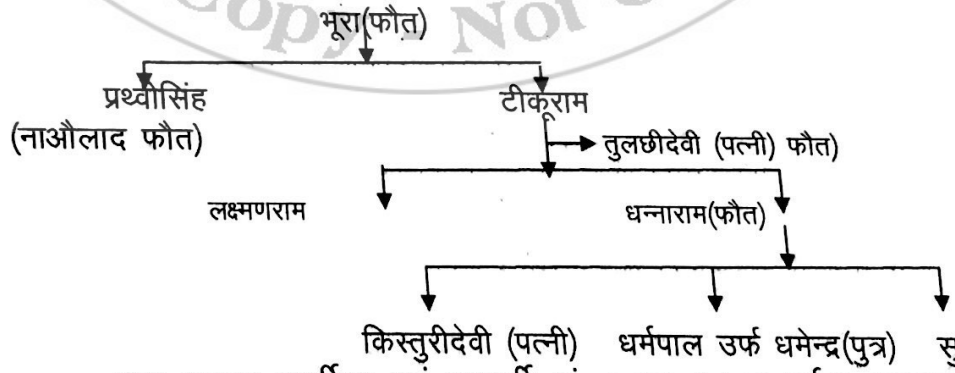

इस प्रकार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का पूर्वज भूराराम था भूराराम के 2 पुत्र पृथ्वीसिंह व टीकूराम थे, पृथीसिंह के कोई प्रथम श्रेणी श्रेणी का वारिस नहीं था तथा उसका निर्वसियती स्वर्गवास हो गया था जिसके कारण उसके द्वारा मृत्यु के समय छोडी गई संपदा टीकूराम के पुत्र लक्ष्मणराम एवं धन्नाराम के वारिसान को प्राप्त हो गई। ग्राम बिड़ोली तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नं. 88 रकबा 4.60 है0, 85 रकबा 0.11 है0, 86 रकबा 4.56 है0, 90 रकबा 2.37 है0, 222 रकबा 1.24 है0, 570 रकबा 1.33 है0, 571

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

रकबा 0.05 है0 किता 7 कुल रकबा 14.22 है0 अवस्थित है। इन कृषि भूमियों में से खसरा नं ... के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 में भूरा पुत्र गंगा का 1/2 हिस्सा दर्ज रहा है जिसके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त 1/2 हिस्सा भूरा के पुत्र पृथ्वीसिंह व टीकूराम को प्राप्त हुआ एवं पृथ्वीसिंह व टीकूराम का स्वर्गवास होने पर उक्त हिस्सा टीकूराम के वारिसान को प्राप्त हो गया। आवेदन की मद सं. 3 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 88 एवं 85, 86, 90, 222, 570, 571 वाके ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर संपूर्ण में प्रार्थीया के पिता धन्नाराम का उतराधिकार के कम में 1/2 हिस्सा होने के कारण तथा प्रार्थीया अपने पिता के प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादग्रस्त संपदा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के साथ ही विरासत में प्रार्थीया को प्राप्त हो गई. परन्तु वादग्रस्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया विरासत का ना.करण सं. 256 में धन्नाराम के वारिसान किस्तुरी व धर्मपाल दोनों को ही बताकर स्वीकृत कर दिया। ना.करण सं. 256 में धन्नाराम के वारिस अप्रार्थी सं. 1 व 2 को ही अंकित करने के कारण प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है इसलिए ना.करण सं. 256 दिनांक 22.05.1986 प्रार्थीया के अधिकारों की हक तक निम्न कारणों से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है–

(क) प्रार्थीया स्व. धन्नाराम की जायन्दा पुत्री है जो कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निर्वसियती फौत पिता व दादा की संपति में से अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ ही बहिस्सा बराबर की हकदार होने के बावजूद भी प्रार्थीया का नाम विरासत के ना.करण में अंकित नहीं किया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रार्थीया के हक हिस्से तक अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने से निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(च)चुनौतीग्रस्त ना.करण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार ने स्व0 धन्नाराम के वारिसान की जांच नहीं की ।

(ग) वादग्रस्त संपदा में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के समान ही प्रार्थीया का कब्जा व हक अधिकार है परन्तु इस सम्बन्ध मं भी ना.करण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की।

(घ) प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 जाति से जाट होकरे धर्म से हिन्दू है जिन पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के प्रावधान लागू होते है। प्रार्थीया के दादा एवं पिता का निर्वसियती स्वर्गवास हुआ था। जिस कारण उनके द्वारा मृत्यु के समय छोड़ी गई संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को प्राप्त होने के कारण चुनौतीग्रस्त ना.करण कानूनी प्रावधानों के विपरीत दर्ज किया गया जो अवैध होने से प्रार्थीया के हक हिस्से की हद तक निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुए एवं प्रार्थीया को उसके हिस्सा से वंचित रखने के कुउद्देश्य से पहले तो अवैद्य ना.करण सं. 256 के द्वारा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। उसके पश्चात् खसरा नं. 222 की कृषि भूमि 1.24 है0 को अप्रार्थी सं. 3 के साथ मिलकर बेचान कर दिया जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा भी सम्मिलित है उक्त विकय वर्ष 1992 में ही कर दिया जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा प्रार्थीया का 1/2 हिस्स पर हक अधिकार था अर्थात् 1.24 है0 में से 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का व 1/2 हिस् प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का होने के कारण उक्त 1/2 हिस्सा की भूमि 0.62 है0 में 1 हिस्सा 0.2066 है0 प्रार्थीया के हक हिस्सा की थी जिसका अप्रार्थी सं. 1 व 2 को विकय य का हक अधिकार प्राप्त नहीं था जिस कारण उक्त बेचान भी प्रार्थीया के हिस्से की हद प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। उक्त भूमि का बेचान करने के पश्चात् खस

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

85, 86, 88, 90, 570, 571 किता 6 कुल रकबा 13.02 है0 का भी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की बिना जानकारी के नुमाईशी विभाजन कर लिया। उक्त विभाजन का ना.करण सं. 380 दिनांक 31.12.2004 को प्रार्थीया की बिना जानकारी के स्वीकृत किया गया था। जिसके अनुसार खसरा नं. 88 व 90 के विभाजित खसरा नंबर 930/88 रकबा 4.52 है0, 832/90 रकबा 2.33 है0 किता 2 कुल रकबा 6.85 है0 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 931/88 रकबा 0.08 है0, 933/90 रकबा 0.04 है0 किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। खसरा सं. 85, 86, 570, 571 किता 4 कुल रकबा 6.05 है0 अप्रार्थी सं. 3 के नाम से दर्ज किया गया है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 मौके पर खसरा नंबर 930/88, 932/90 किता 2 कुल रकबा 6.85 है0 भूमि को संयुक्त रूप से व खसरा नंबर 222 रकबा 1.24 है0 भूमि के उक्त अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन विक्रय पत्र पंजीकृत होने से पूर्व से ही काश्त करते रहे है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 2 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में ही प्रार्थीया 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार काबिज है तथा उसी में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की हकदार है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थीया को विरासत में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा खसरा नंबर 222 मे प्रार्थीया के हिस्सा की भूमि 0.2066 है0 का अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अवैध रूप से बेचान किया। उक्त 0.2066 है0 भूमि के बदले में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हिस्सा में से प्रार्थीया 0.2066 है0 भूमि प्राप्त करने की हकदार है। प्रार्थीया को राजस्व रिकार्ड में किये गये अवैध परिवर्तनों की पूर्व में जानकारी नहीं थी प्रार्थीया को सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब दिनांक 03.10.2013 को प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य घरेलू बात को लेकरे मनमुटाव व झगड़ा हो गया तब अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया को एहलानियां धमकी देते हए कहा कि "संपूर्ण पैतृक कृषि भूमियों में तुम्हारा किसी भी खसरा नंबर के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है मेरा एवं माता किस्तुरी देवी का ही नाम दर्ज है।" इसलिए तुम्हें जबरन ताकत के बल पर बेदखल करेंगे व वादग्रस्त भूमियों का भूमाफिया गिरोह को बेचान करके रहेंगे। इस पर प्रार्थीया ने हल्का पटवारी से जानकारी करके दिनांक 04.10.2013 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज कृषि भूमियों के सम्बन्ध में सीकर स्थित ऑनलाईन जमाबंदी देने के लाईसेंसधारक से जमाबंदी की नकल प्राप्त की व हल्का पटवारी से सत्यापित करवाई। तत्पश्चात् भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी जमाबंदी संवत् 2041–60 एवं अन्य राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.10.2013 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु ना.करण सं. 256 सदर कानूनगो ऑफिस में जमा नहीं होने के कारण दिनांक 17.10.2013 को भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी की गई जमाबंदी ही प्राप्त हुई, तत्पश्चात् पुनः नकल का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर ना.करण सं. 256 एवं जमाबंदी संवत् 2045–48 की नकल प्राप्त हुई तथा संवत् 2061–64 की जमाबंदी इन्टरनेट से प्राप्त की व अन्य वर्तमान जमाबंदी हल्का पटवारी से दिनांक 14.11.2013 को प्राप्त की। उक्त रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर ही प्रार्थीया को राजस्व रिकार्ड में किये गये अवैध परिवर्तनों की सर्वप्रथम जानकारी हुई, तत्पश्चात् प्रार्थीया ने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके अप्रार्थी सं. 1 को समझाईश की व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने के लिए कहा तो

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 1 व 2 उस समय तो सहमत हो गये परन्तु बाद में अप्रार्थी सं 2 भी अप्रार्थी सं 1 के प्रभाव में आ गई। जिस कारण उक्त दोनों ही दिनांक 19.11.2013 को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज करवाने से इंकार हो गये एवं वादग्रस्त आराजी को वेस्ट, डेमेज एवं एलाईनेट करने की धमकी दी। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने हिस्सा की भूमि की संयुक्त रूप से काश्त करना भी असंभव हो गया है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया की ही होती है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे खसरा नंबर 930/88, 932/90 किता 2 कुल रकबा 6.85 है0 एवं खसरा नंबर 931/88, 933/90 किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में स्थित भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त म दखलदाजी करने, प्रार्थीया को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने, खड्डे खोदने, पेड काटने, कच्चा अथवा पक्का निर्माण करने, रहन रखने, किसी भी प्रकार से अंतरण व बेचान करने से मय नौकर, एजेंट, परिजन, स्वजन प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी सं. 4 किसी भी प्रकार का अंतरण प्रलेख रहननामा आदि पंजीकृत करने से व अप्रार्थी सं. 5 राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करने से प्रतिबंधित रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री नानूराम बुरानिया हाजिर हुए व आवेदन स्थगन का बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता की मृत्यु 1979 में हुई है उसकी मृत्यु के समय वह पैदा नहीं हुई थी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में सहदायिकी संपति में पुत्री को अधिकार दिनांक 09.09.2005 के संशोधन से प्राप्त हुए है इससे पूर्व उसको अधिकार नहीं थे न वह पिता की मृत्यु के समय पैदा थी, धन्नाराम की विरासत का ना.करण सन् 1986 में भरा जा चुका है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के 2005 में हुए संशोधन से 7–8 वर्ष पूर्व ही वादिया की शादी हो चुकी थी इसलिए प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए यह आवेदन चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 222 को सन् 1992 में विक्रय करना बताया है उनके क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए यह आवेदन चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। अतः जवाब आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोराहते हुए कथन किया कि धन्नाराम मेरा पिता है इसकी भूमि में मेरा भी 1/3 हिस्सा है अतः वादपत्र के निस्तारण तक बेचान से रोका जावें। यदि टीआई नहीं दी गई तो भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगें। दावा शहादत प्रतिवादी में चल रहा है अतः ऐसी स्थिति में भी बेचान से पाबन्द करें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने आवेदन के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि टीअई के पैरा सं. 2 में पृथ्वीसिंह नाऔलाद नहीं होकर उसके 4 पुत्र थे। धन्नाराम की विरासत का ना.करण दिनांक 22.05.86 का है जिस समय पुत्रियों का कोई हिस्सा विरासत में नहीं होता था (दिनांक 09.09.05 से पूर्व का प्रकरण)। वादिया का

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

कोई कब्जा नहीं है न ही बिडोली मे रहती है। प्रथमदृष्टया मामला हमारे पक्ष मे बनता है। वर्ष 1986 के बाद दावा वर्ष 2013 मे पेश किया, उसका कारण नहीं लिखा है। प्रार्थीया तलाकशुदा है। दावा गलत धाराओं पर पेश किया है। रिपीटल में वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि बेचान के स्टे पर प्रतिवादी सहमत है। प्रथम श्रेणी के वारिस का कब्जा है। धारा 8 इस मामले में लागू होगी, इसमें धारा 6 लागू नहीं होगी। घोषणात्मक दावे में लिमिटेशन की सीमा लागू नहीं होती है, घोषणा का दावा कभी भी किया जा सकता है। वकील प्रार्थीया ने आवेदन स्थगन के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(2) पेज 976 धन्नामा उर्फ सुमन सुरपुर बनाम अमर, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 156 शिवदयाल बनाम बनवारीलाल एवं आर.आर.टी.(1) पेज 159 जसवन्तसिंह बनाम लैण्ड एक्यूजिशन ऑफिसर की नजीरें पेश की है।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात व दृष्टांत का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात प्रार्थीया के परदादा भूरा की खातेदारी भूमियां है जिसकी मृत्यु होने पर पृथ्वीसिंह व टीकूराम के विरासत में आई है, टीकूराम के फौत होने पर लक्ष्मणराम व धन्नाराम के विरासत में आई है धन्नाराम (प्रार्थीया के पिता) की मृत्यु होने पर किस्तुरी देवी पत्नी, धर्मपाल उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र के नाम ना.करण सं. 256 के द्वारा खातेदारी दर्ज हो गई एवं प्रार्थीया का नाम विरासत में नहीं आया है। बेचान के स्थगन पर वकील अप्रार्थीगण सहमत है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 इस प्रकरण में लागू होगी। चूंकि विवादित भूमियां पैतृक भूमियां है प्रार्थीया का हक हिस्सा वाद में साक्ष्य पश्चात् तैय होगा, वाद के निस्तारण तक विवादित भूमियां की यथास्थिति रखी जानी कानूनन आवश्यक है। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नजीरें प्रस्तुत प्रकरण में लागू है। पैतृक भूमि होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित है। चूंकि प्रथमदृष्टया मामला साबित करने में वकील प्रार्थीया सफल हुए है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सुदृढ है। प्रकरण में बिन्दु सं. 1 व 2 प्रार्थीया के पक्ष में साबित है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को ही होगी। अतः प्रार्थी का आवेदन बाबत स्थगन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 930/88, 932/90 किता 2 कुल रकबा 6.85 है0 एवं खसरा नंबर 931/88, 933/90 किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम बिड़ोली तहसील धोद जिला सीकर की तादौराने दावा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं बेचान न करें। मिसल फैसल शुमार होकर मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 13-8-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner